भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

राज्या सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: 34
उत्तर देने की तारीख: 22.07.2021

राजस्थान में केन्द्रीय विद्यालय

34# श्री नीरज डांगीः

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, विशेषकर राजस्थान में कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है तथा राजस्थान में स्थापित किए जाने के लिए घोषित तथा वर्तमान में चल रहे केन्द्रीय विद्यालयों का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ख) इस प्रकार के स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य संभवत: कब तक शुरू होगा तथा इनके निर्माण को कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और
(ग) क्या ऐसे भवनों के निर्माण कार्य में कोई बाधा आ रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। .

******

"राजस्थान में केन्द्रीय विद्यालय '' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 22.07.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 34 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) विगत तीन वर्षों अर्थात 2018-19 से 2020-21 के दौरान, देश में सिविल, परियोजना और उच्चतर अधिगम क्षेत्रों के संस्थानों के तहत 69 केंद्रीय विद्यालयों (केवि) का अनुमोदन किया गया है।

क्र. सं.	वर्ष	केवि की संख्या

		सिविल		कुल (सिविल)	परियोजना/ आईएचएल*	समग्र जोड
		राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित	भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित			
1	2018-19	47	16 (पैरा मिलिट्री)	63	3	**66**
2	2019-20	-	-	-	2	**2**
3	2020-21	-	-	-	1	**1**
कुल		**47**	**16**	**63**	**6**	**69**

*उच्चतर अधिगम संस्थान

69 केवी का जिला और राज्य-वार विवरण **संलग्नक I** पर दिया गया है।

विगत 3 वर्षों में स्वीकृत उपरोक्त 69 केवि में से 2 (दो) केवि राजस्थान में हैं और वर्तमान में दोनों कार्यात्मक हैं, अर्थात्: -

1. केवि रेलवे कॉलोनी बांदीकुई, जिला दौसा

2. केवि प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़

वर्तमान में राजस्थान में 77 केवि कार्यात्मक हैं। जिलेवार विवरण **संलग्नक II** पर दिया गया है।

(ख) उपरोक्त 63 सिविल क्षेत्र के केवि में से 2 केवि अर्थात बागपत में केवि बावली और केवि सीआईएसएफ सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में निर्माण कार्य शुरू हो गया है। शेष केवि योजना के चरण में हैं क्योंकि पहले से स्वीकृत केवि के चल रहे निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) केवि के लिए स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो उपयुक्त भूमि की पहचान, प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में लीज औपचारिकताओं को पूरा करने, निर्माण एजेंसी द्वारा ड्राइंग/अनुमान प्रस्तुत करने, अपेक्षित अनुमोदन और धन की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।